

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मुद्दा 55/16 तारीख 29.8.16

उनवान - मुन्शी बनाम रामहरी मीन को  
करीरी

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पार्थी को ओर सुरेशचन्द्र शर्मा A.P. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथ पत्र व जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अग्रार्थियों को जरिये नोटिस से तबल कर दिनांक 29.8.16 को पेश हो।

23/8/19  
11.8.16

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करीली)

29/8/16 पार्थी को लखपटित। प्रतिवादी वकील ने वर लखनाभा पेश करे के लिए समय चाहा दिया गया। काइन्डा डि 20-9-16 को पेश हो।


उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करीली)

20/9/16 मुकुलाय उपग गादी प्रतिवादी न 2 के कायम मुकामान की दर्श पेश करे। काले कायम मुकामान डि 14.10.16 को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करीली)  
पधार है। अतः फ्तवली गतानुकार  
दिनांक 9/10/16 को पेश हो।

14.10.16

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
1.6.17	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय भाषके द्वार कैम्प करीरी में पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। मुक में जारी की गई इंटरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किये जाने पर वकील उभयपक्ष ने सहमति स्वरूप कथन किया। इतः दिनांक 16.1.17 को जारी की गई इंटरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा पत्रावली के फैसला होने तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसला शुभ्र होना सम्भल के कम होना दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 1.6.17 को खुले न्याय कैम्प करीरी में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">               (जगदीश डार्य)              उप जिला कलेक्टर              टोडा (उत्तरांचल)           </p>

शाम 4:30